

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद पत्र संख्या :-11/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01. हीरदास पुत्र जीवनदास		01. मोहनदास पुत्र गणेशदास, जाति वैष्णव, निवासी नवजीवन आयुर्वे केन्द्र, रवि नगर, पाल रोड, जोधपुर ।
02. गंगाराम पुत्र जीवनदास		02. खीमदास पुत्र गणेशदास
03. रामचन्द्र पुत्र जीवनदास		03. दाउदास पुत्र गणेशदास
04. प्रेमदास पुत्र जीवनदास		जातियान वैष्णव, निवासी पैलावास धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।
05. रणछोडदास पुत्र जीवनदास		04. पूनमदास पुत्र गणेशदास, जाति वैष्णव, निवासी नानक नगर, धिनाला नाड़ा के पास, अभिषेक नगर के पास, पाल, जोधपुर ।
06. हुकीदेवी पत्नि जीवनदास		05. मदनदास पुत्र गणेशदास, जाति वैष्णव, निवासी प्लॉट नं0 44, कुलदेपी विहार, गोल मार्केट बिड़ला स्कूल के सामने, सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास, जोधपुर ।
जातियान वैष्णव, निवासीगण ग्राम धवा प्रथम, तहसील लूणी, जिला जोधपुर हाल निवासी ई-5-वी, जानकी नगर, श्याम नगर के पास, पाल रोड, जोधपुर ।		06. जगन्नाथ दास उर्फ जगदीशदास, पुत्र नवलदास, जाति वैष्णव, निवासी प्लॉट नं0 416, देवी रोड, चान्दणा भाकर, कमला नेहरू नगर तृतीय, जोधपुर ।
		07. राजेन्द्र पुत्र रूगनाथदास, जाति वैष्णव, निवासी बालाजी नगर, पाल बालाजी मंदिर के सामने वाली गली, पाल, जोधपुर ।
		08. मुकनदास पुत्र नरसिंगदास, जाति वैष्णव, निवासी मेड़तिया गार्डन वाली गली, पंचवटी आश्रम के आगे, कबाड़ खाने के पास, प्रभु पार्श्वनाथ नगर, पाल, जोधपुर ।
		09. कानदास पुत्र नरसिंहदास, जाति वैष्णव, निवासी भारत नगर, माजीसा किराणा स्टोर वाली गली, चौपासनी, पाल, जोधपुर ।
		10. माडी देवी पत्नि नरसिंगदास, जाति वैष्णव, निवासी भारत नगर, माजीसा किराणा स्टोर वाली गली, चौपासन पाल, जोधपुर ।
		11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।



दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53 व 188 रा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति -

1. वादीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. प्रतिवादीगण संख्या एक से ग्यारह बावजूद सूचना तामिल के अनुपरिथत ।
3. अप्रार्थी संख्या बारह की तरफ से राजकीय अभिभाषक ।

आदेश

दिनांक :- 6/6/2022

वादीगण द्वारा ग्राम धवा प्रथम, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 652 कुल रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में वास्ते बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया । इस वाद में दिनांक 30.09.2019 को आदेश जारी कर

महायुक्त कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये क्रमांक/भू.अ./2021/129 दिनांक 04.01.2022 को बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया जो कि शामिल पत्रावली है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार वादीगण का खसरा संख्या 652 में रकबा 1.5766 हैक्टेयर पर पूर्वी दिशा की तरफ मौके पर कब्जा काश्त दर्शाया गया तथा शेष पश्चिम दिशा की तरफ प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 का हिस्सा दर्शाया हुआ है। पत्रावली में बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा आदेश जारी कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बंटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शाये गये मौके पर कब्जा अनुसार अलग अलग तरमीम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादीगण ग्राम धवा प्रथम, तहसील लूणी के खसरा संख्या 652 कुल रकबा 3.8769 हैक्टेयर में से पूर्वी दिशा की तरफ वादीगण रकबा 1.5766 हैक्टेयर पर काबिज काश्त हैं तथा शेष रकबा 2.3003 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 काबिज हैं ऐसी स्थिति में बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 13.12.2021 अनुसार ग्राम धवा प्रथम, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 652 कुल रकबा 3.8769 हैक्टेयर में वादीगण का रकबा 1.5766 हैक्टेयर जो कि मौका फर्द में कब्जा दर्शाया गया है उसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग से बट्टा नं0 दर्ज करते राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम से इन्द्राज की जावें तथा राजस्व नक्शों में भी अलग से तरमीम दर्ज की जावें तथा शेष हिस्सा रकबा 2.3003 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण की राजस्व नक्शों में अलग अलग तरमीम दर्ज की जावें। बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 13.12.2021 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो



71
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिकरी बमुकदमें इबादाई
(ऑर्डर 20, नियम 6-7, जाका दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उखण्ड अधिकारी, लूणी ।
पिठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-11/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01. हीरदास पुत्र जीवनदास 02. गंगाराम पुत्र जीवनदास 03. रामचन्द्र पुत्र जीवनदास 04. प्रेमदास पुत्र जीवनदास 05. रणछोडदास पुत्र जीवनदास 06. हुकीदेवी पत्नि जीवनदास जातियान वैष्णव, निवासीगण ग्राम धवां प्रथम, तहसील लूणी, जिला जोधपुर हाल निवासी ई-5-वी, जानकी नगर, श्याम नगर के पास, पाल रोड, जोधपुर ।		01. मोहनदास पुत्र गणेशदास, जाति वैष्णव, निवासी नवजीवन आयुर्वे केंद्र, रवि नगर, पाल रोड, जोधपुर । 02. खीमदास पुत्र गणेशदास 03. दाउदास पुत्र गणेशदास जातियान वैष्णव, निवासी पैलावास धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 04. पूनमदास पुत्र गणेशदास, जाति वैष्णव, निवासी नानक नगर, घिनाला नाडा के पास, अभिषेक नगर के पास, पाल, जोधपुर । 05. मदनदास पुत्र गणेशदास, जाति वैष्णव, निवासी प्लॉट नं० 44, कुलदेपी विहार, गोल मार्केट विडला स्कूल के सामने, सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास, जोधपुर । 06. जगन्नाथ दास उर्फ जगदीशदास, पुत्र नवलदास, जाति वैष्णव, निवासी प्लॉट नं० 418, देवी रोड, चान्दणा भाकर, कमला नेहरू नगर तृतीय, जोधपुर । 07. राजेन्द्र पुत्र रूगनाथदास, जाति वैष्णव, निवासी बालाजी नगर, पाल बालाजी मंदिर के सामने वाली गली, पाल, जोधपुर 08. मुकनदास पुत्र नरसिंगदास, जाति वैष्णव, निवासी मेडतिया गार्डन वाली गली, पंचवटी आश्रम के आगे, कबाड़ खाने के पास, प्रभु पार्श्वनाथ नगर, पाल, जोधपुर । 09. कानदास पुत्र नरसिंहदास, जाति वैष्णव, निवासी भारत नगर, माजीसा किराणा स्टोर वाली गली, चौपासनी, पाल, जोधपुर । 10. माडी देवी पत्नि नरसिंगदास, जाति वैष्णव, निवासी भारत नगर, माजीसा किराणा स्टोर वाली गली, चौपासन पाल, जोधपुर 11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।



दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, मुकदमा नं० 11/2017 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:-

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 13.12.2021 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है ।

नीज..... मुबलिक..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व वगैरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक को अदा करें ।
बसीब मेरे दस्तखत व मुहम अदालत आज दिनांक 6/6/2022 को जारी की गयी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रू.	मुद्दायलाह	रू. लूणी
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीजान		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीजान	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उखण्ड अधिकारी,
लूणी